न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज(वरिष्ठ प्रभाग), रूड़की।

रिलीज प्रार्थना पत्र संख्याः
वाद संख्याः 300/2025
राज्य बनाम महावीर
धाराः मोटर वाहन अधिनियम।
थानाः कोतवाली गंगनहर।

उपस्थित अधिवक्ताः—
प्रार्थी की ओर सेः— श्री अचल कुमार, अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर सेः— श्री वासुदेव, सहायक अभियोजन अधिकारी।

आदेश

दिनांक 24.06.2025—

प्रार्थी ओम इण्टरप्राईजेज द्वारा प्रोपराईटर नितिन शर्मा पुत्र ललित कुमार शर्मा निवासी 805/6 आजाद नगर, रूड़की जिला हरिद्वार की ओर से उपरोक्त मामले में थाना गंगनहर पर निरूद्ध वाहन ई—रिक्शा रजिस्ट्रेशन नम्बर UK-17ER-3537, चैसिस नं0 M3UEVPPU22F000971 व इंजन नं0 EPM971 को अपने पक्ष में रिलीज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

उक्त वाहन पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सीज किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार कर अर्थदण्ड जमा किया जा चुका है। प्रार्थी की ओर से उक्त वाहन के स्वामित्व के सम्बन्ध में आर0सी0 प्रस्तुत की गयी है, जिसके अवलोकन से विदित है कि उक्त वाहन का प्रार्थी के नाम पंजीकृत है। अतः प्रार्थी का वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तदनुसार उक्त वाहन प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के पक्ष में रिलीज किया जाता है। सम्बन्धित थाने के प्रभारी को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त वाहन किसी अन्य मामले में निरूद्ध न हो तो अविलम्ब प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी के पक्ष मे रिलीज किया जाना सुनिश्चित करें।

(त्रिचा रावत)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
अपर सिविल जज(वरिष्ठ प्रभाग),
रूड़की, जिला हरिद्वार।